न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता बिरौल दरभंगा

शशिधर यादव

वनाम

विश्वनाथ यादव

वाद संख्या–18/2013–14

वाद का प्रकार–वेदखली

आदेश

15.11.2013 बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत दायर किया गया है जिसमें प्रतिवादी पर वादी को प्रश्नगत भूमि से वेदखल करने का आरोप लगाया गया है।

प्रश्नगत भूमि का विवरण

मौजा दिनमो थाना कु0 स्थान जिला दरभंगा।

खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
158			
पु0	778	14 डि0	उ0–दुखा यादव
	782		द0–सड़क
	781		पु0–कंटीर खतवे
	784		प0–रामखेलावन पोद्दार

प्रथम पक्ष का संक्षेप में कहना है कि मद नं0 1 की भूमि जिस पर प्रतिवादी द्वारा अनावश्यक विवाद उत्पन्न किया गया है वादी के स्वत्वाधिकार की सम्पत्ति है और शांतिपुर्ण दखल कब्जा में चला आ रहा है। उक्त मौजा दिनमो थाना कु0 स्थान जिला दरभंगा अन्तर्गत अवस्थित है। जिसका खाता पु0 158 खेसरा 778, 782, 781, 784, रकवा 14 डि0 है। जिस पर वादी का पुर्वज के समय से ही शांतिपुर्ण दखल कब्जा में चला आ रहा है। उक्त भूखण्ड वादी की खतियानी भूमि है प्रतिवादी वादी के फरीकैन है। उभय पक्षो के पुर्वज के नाम से साविक खतियान में खाता दर्ज है और कैफियत कॉलम मे उक्त

खाते से संबंधित विभिन्न खेसरा अलग अलग रैयत के नाम से दर्ज है उक्त खतियान में इनके पुर्वज का अंश इस प्रकार दर्शाया गया है जो मैन पुराना खतियान एंव हाल सर्वे खतियान में अंकित है जो सभी फरीकैन के कितना कितना हिस्सा बनता है। उक्त खतियान के फरीकैन कॉलम में विवादित खेसरा वादी के पुर्वज परदादा दाहु गोप के नाम से दर्ज है और इस प्रकार विवादित खेसरा पर धारणा अधिकार वादी को प्राप्त है।

वहीं दुसरी तरफ विपक्षीगण का कहना है कि वर्तमान कार्यवाही मौजा दिनमो खाता 158 पु0 खेसरा 778, 782, 781 784 पुराना रकवा 14 डि0 पर चलाया गया है जिसमें नया खाता वो खेसरा का उल्लेख नही करना वादी के वाद पत्र को दुषित करता है। प्रतिवादी को उक्त भूखण्ड बजरिये मरौसी खतियान वो वादी के पिता वो चाचा के द्वारा निबंधित केवाला के माध्यम से प्राप्त है। प्रतिवादी को खाता 158 पु0 खेसरा 778, 782, 784, पु0 के खतियान से आधा हिस्सा प्राप्त है जो वादी भी अपने वादपत्र के कॉलम 4 में उल्लेखित है की वादी एवं प्रतिवादी आपस में फरीकैन है। खाता 158 पु0 खेसरा 778 जिसका नया खेसरा 973 एवं 954 बना है जिसमें खेसरा 973 हाल सर्वे के समय खतियान बिहार सरकार के नाम से खुल गया जिसमें प्रतिवादीगण को धारा 106 बी0 टी0 एक्ट के द्वारा खतियान सुधार कर प्रतिवादी के नाम हो गया और खेसरा 954 जो कनटीर राय वो राम स्वरूप राय के नाम से है जो प्रतिवादीगण का कंटीर राय वो राम स्वरूप राय से केवाला द्वारा प्राप्त है। खाता 158 पु0 784 पु0 का नया खेसरा 950 है जो प्रतिवादीगण को निबंधित केवाला वादी के पिता कंटीर राय वो चाचा रामस्वरूप राय के द्वारा प्रतिवादी को प्राप्त है और हाल खतियान प्रतिवादी के नाम कायम है। वाद पत्र में वर्णित खाता खेसरा की जमीन जब वादी के पिता वो चाचा पुर्व में ही बेच चुका है जिस पर प्रतिवादी का निबंधन की तिथि से ही शांतिपुर्ण दखल कब्जा चला आ रहा है।,

दोनो पक्षो के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना, एवं उपलब्ध कराये गये साक्ष्यो का अवलोकन किया। वादी द्वारा प्रश्नगत भूमि उनकी खतियानी रैयत होने के अधिकार के आधार पर दावा किया जा रहा हैं। वादी द्वारा साक्ष्य के रूप में पुराना खतियान की प्रति संलग्न की गयी है जो उनके पुर्वजो के नाम से होने का दावा किया जा रहा है। प्रतिवादीगण द्वारा प्रश्नगत भूमि पर वादी के पुर्वजो से प्राप्त केवाला 106 बी0 टी0 एक्ट के आदेश एव आदेश के आलोक में खतियान में किये गये सुधार के आधार पर दावा किया जा रहा है। प्रतिवादी

द्वारा साक्ष्य के रूप में केवाला 106 बी0 टी0 एक्ट एवं हाल खतियान की छायाप्रति संलग्न की गई है। अभिलेख साक्ष्य एवं लिखित बहस के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उभय पक्ष एक ही वंश के है एवं एक पक्ष पुराने खतियान के आधार पर एवं दुसरा पक्ष केवाला 106 बी0 टी0 एक्ट के आदेश के आधार पर प्रश्नगत भूमि पर दावा कर रहे है। इस प्रकार वादी एवं प्रतिवादी के बीच जटिल स्वत्व न्याय–निर्णित करने का संश्लिष्ट प्रश्न निहित है। इस प्रकार बिहार भूमि विवाद निराकरण आधिनियम 2009 की धारा 4 (5) के आलोक में वाद की कार्यवाही बन्द किया जाता है तथा पक्षकार उचित व्यवहार न्यायालय के सक्षम उपचारो की याचना के लिए स्वतंत्र होगें।

उपर्यूक्त निष्कर्ष के साथ इस वाद को निस्तारित किया जाता है उक्त आदेश से संबंधित पक्षो के विज्ञ अधिवक्ताओं को अवगत करा दे तथा आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चिपका दे।

लेखापति एवं संशोधित

15.11.13

भूमि सुधार उपसमाहर्ता

बिरौल

15.11.13

भूमि सुधार उपसमाहर्ता

बिरौल